क्रम-संख्या-346

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० एम्० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 1984
वैशाख 10, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 939/सत्रह-वि0-1-1 (ख) 36-1983

लखनऊ, 30 अप्रैल, 1984

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विधेयक, 1984 पर दिनांक 29 अप्रैल, 1984 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1984]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्ध या नियंत्रण में स्थानीय निधियों और कतिपय नियमित और अनियमित निकायों की निधियों की लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करने और उसको विनियमित करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

Scanned by CamScanner

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "लेखा परीक्षा" के अन्तर्गत सांकेतिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, शत प्रतिशत लेखा-परीक्षा और विशेष लेखा-परीक्षा और धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों द्वारा लेखा का निरीक्षण भी है;

(ख) "लेखा-परीक्षक" के अन्तर्गत उसकी सहायता के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक और समस्त अन्य अधिकारी भी हैं;

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत ऐसा अधिकारी भी है जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन निदेशक की शक्तियां प्रदान की जायं;

(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका या नगर महापालिका, नोटी-फाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति, गांव सभा या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी से है जिसे स्वायत शासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजन के लिये गठित किया गया हो या जो नगरपालिका का स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिये विधिमान्य रूप से हकदार हो या जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया हो और इसके अन्तर्गत निगमित या अनिगमित कोई सोसाइटी, निकाय या संस्था भी है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वि, स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचित किया गया हो;

(ङ) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में, "प्रधान अधिकारी" का तात्पर्य उसके ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय;

(च) (एक) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में, "विशेष लेखा परीक्षा" का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अवधि के ऐसे लेखा या किसी विनिर्दिष्ट लेखा मद या मदों की श्रेणियों की जिसमें सर्वांगीण जांच की आवश्यकता है, परीक्षा से है जो राज्य सरकार के आदेश से या स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी के अनुरोध पर की जाय;

(दो) "सांकेतिक लेखा परीक्षा" का तात्पर्य प्रतिवर्ष के वार्षिक लेखा की सामान्य समीक्षा सहित ऐसी लेखा-परीक्षा से है जो वर्ष के किसी एक या अधिक मास के जिसका चयन लेखा परीक्षक द्वारा प्रतर्कित रूप से किया जाय, लेखा का हो और जिसका संचालन उसके विवेकानुसार शतप्रतिशत आधार पर किया जाय;

(तीन) "समवर्ती लेखा परीक्षा" का तात्पर्य समय-समय पर दिन प्रतिदिन के लेखा के कार्योत्तर लेखा परीक्षा और लेखा के सामान्य समीक्षा से है;

(चार) "शत प्रतिशत लेखा परीक्षा" का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अवधि के विशिष्ट लेखा के समस्त संव्यवहारों के कार्योत्तर लेखा परीक्षा से है;

(छ) "विहित प्राधिकारी" का किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किसी अधिकारी या निगमित निकाय से है।

निदेशक और अन्य लेखा परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

3—(1) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का निदेशक होने के लिये एक व्यक्ति की और उसकी सहायता के लिये निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति की जायगी, अर्थात्—

(क) उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग;
(ख) सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग;
(ग) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा;
(घ) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा;
(ङ) लेखा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा;
(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो उसके द्वारा अवधारित किये जायें निदेशक और प्रत्येक ऐसे अधिकारी को जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, नियुक्त कर सकती है और उनके कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसे क्षेत्र के भीतर जिसे नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त किये जायं या उन पर आरोपित किय जायं।

Scanned by CamScanner

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, जो सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की श्रेणी से नीचे न हो, धारा 4 की उपधारा (4) या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 या धारा 9 के अधीन निदेशक की शक्तियां प्रदान कर सकती है।

लेखा जिसकी परीक्षा जायगी और लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान

4--(1)--राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनके लेखा की परीक्षा की जानी है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखा की परीक्षा पूर्णतया, ऐसी किसी अधिनियमिति में, जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबंधित रीति से की जायगी।

(3) स्थानीय प्राधिकारी जिसके लेखा की परीक्षा उपधारा (2) के अधीन की जानी हो, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान करेगा।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन उदग्रहणीय लेखा-परीक्षा फीस का आपन प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी द्वारा सरकारी कोषागार में लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान न किया जाय तो राज्य सरकार या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से जिला मजिस्ट्रेट इस निदेश के साथ बैंकर या उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि है, आदेश दे सकता है कि वह ऐसी निधि से सरकारी कोषागार में, चाहे एकमुश्त या किस्तों में जैसा आदेश में निदेशित हो, लेखा-परीक्षा फीस की धनराशि का भुगतान कर दे और बैंकर या ऐसे अन्य व्यक्ति आदेश का पालन करने के लिये बाध्य होगा। ऐसा न करने पर लेखा-परीक्षा फीस की धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायगी।

लेखा-परीक्षा के लिये अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना

5--ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का जिसके लेखा की परीक्षा धारा 4 के अधीन की जानी है प्रमुख अधिकारी लेखा-परीक्षा के लिये सभी लेखा, विवरणियां, रजिस्टर, पत्रावलियां और पत्राचार या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज को जिनकी लेखा परीक्षकों द्वारा मांग की जाय, प्रस्तुत करेगा या करायेगा।

अभिलेख प्रस्तुत करने और व्यक्तियों से उपस्थित होने के लिये लेखा परीक्षक की अपेक्षा करने की शक्ति

6--(1) इस अधिनियम के अधीन किसी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ, कोई लेखा परीक्षक--

(क) स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी से ऐसा बाउचर, विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या लेखा के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज, जिसे लेखा परीक्षक उचित समझे, ऐसे स्थान पर जहां लेखा परीक्षक निदेश दे निर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत करने या कराने की लिखित रूप में अपेक्षा कर सकता है;

(ख) लिखित रूप में--

(एक) स्थानीय प्राधिकारी के किसी ऐसे वैतनिक सेवक से जो ऐसे बाउचर विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या अन्य दस्तावेज के लिये उत्तरदायी हो या जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में वे हों, स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है, या

(दो) ऐसे व्यक्ति से जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी कार्य में कोई अंश या हित हो या ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी उपस्थिति किसी कठिनाई या परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक हो, स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से, आदेश में निदेशित स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने और किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये अपेक्षा कर सकता है;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी से ऐसे स्थान पर, जहां लेखा की परीक्षा की जा रही हो या ऐसे अन्य स्थान पर जहां लेखा परीक्षक निदेश दे, उससे मिलने और उस बिन्दु को जिस पर स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) लेखा परीक्षक उपधारा (1) के अधीन भेजे गये किसी अधियाचन या सूचना में युक्ति-युक्त अवधि निर्धारित कर सकता है जो कम से कम तीन दिन की होगी जिसके भीतर उक्त अधियाचन या सूचना का पालन किया जायगा।

(3) लेखा परीक्षक स्थानीय प्राधिकारी को जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो, जिस दिनांक से लेखा-परीक्षा प्रारम्भ करने का उसका प्रस्ताव हो, उसकी सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व लिखित रूप में देगा :

परन्तु लेखा परीक्षक, अल्पावधि की सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना, उसके कारणों को अभिलिखित करते हुये, लेखा-परीक्षा स्वप्रेरणा से प्रारम्भ कर सकता है और राज्य सरकार या निदेशक के निदेश पर प्रारम्भ करेगा।

(4) निदेशक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के संबंध में निम्न लिखित प्राधिकार होगा :--

Scanned by CamScanner

(क) किसी स्थानीय प्राधिकारी के, जो उसके लेखा-परीक्षा प्रभार में हो, लेखा का निरीक्षण करना, जिसके अन्तर्गत नकद, मूल्यवान वस्तुओं और स्टोर का भौतिक सत्यापन भी है;

(ख) यह अपेक्षा करना कि ऐसा कोई रजिस्टर, बही, पत्रादि और अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहार से जिसकी लेखा-परीक्षा करना उसकी सीमा में आता हो, संबंधित या उसका आधार हो या आवश्यक उससे सुसंगत हो, ऐसे स्थान पर और ऐसे दिनांक को जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे, भेज दिये जायं,

(ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछना या ऐसी टिप्पणी करना जिसे वह आवश्यक समझे और ऐसी सूचना मांगना जिसे वह लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिये या किसी लेखा या रिपोर्ट को जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है, तैयार करने के लिये अपेक्षा करे।

धारा 6 के अधीन अधियाचन की अवज्ञा करने के लिये शास्ति

7—(1) कोई व्यक्ति जो उससे धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या उपधारा (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधिपूर्वक की गयी किसी अधियाचन की जान बूझकर उपेक्षा करता है या उसका पालन करने से इन्कार करता है वह किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से जो, एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं की जायगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसी स्वीकृति देने के पूर्व निदेशक उस व्यक्ति से जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जानी हो, यह कारण बताने को कहेगा कि स्वीकृति क्यों न दी जाय।

(4) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी और कुछ अन्य अधिकारियों और निकायों को भेजी जायगी

8—(1) लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से लेखा परीक्षा का परिणाम ऐसे प्रपत्र में और ऐसा विवरण देते हुए, जैसा विहित किया जाय, निम्नलिखित दो भागों, में स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी को संसूचित किया जायगा, अर्थात्—

(एक) सामान्य और महत्वपूर्ण विषयों पर जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका विवेचन करने वाली लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी; और

(दो) आपत्तियों का विवरण-पत्र जिसमें गौण और प्राविधिक अनियमितताओं से संबंधित अशोधित आपत्तियां दी गयी हों।

(2) लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी की प्रतियां ऐसे अधिकारियों और प्राधिकारियों को भी भेजी जायेंगीं जिन्हें निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाय।

(3) निदेशक लेखा की एक संहत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा या करायेगा और उसे राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिये राज्य सरकार को प्रति वर्ष भेजेगा।

धारा 8 के अधीन निदेशक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

9—(1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, स्थानीय प्राधिकारी का प्रमुख अधिकारी तत्काल कार्यवाही करेगा और उसमें उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर एक मास के भीतर उत्तर लेखबद्ध करेगा जिसमें उस बिन्दु पर की गयी या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित होगी। तत्पश्चात् लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी पर सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी की विशेष बैठक में, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर होगी, विचार किया जायगा और विनिश्चय किया जायगा।

(2) प्रधान अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व यह देखना होगा कि लेखा परीक्षा टिप्पणी और आपत्तियों के विवरण-पत्र में इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं का निवारण या निपटारा शीघ्रता और सम्यक् तत्परता से कर दिया जाय।

(3) प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी और प्रत्येक बिन्दु पर स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणीयुक्त प्रति निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट बैठक होने के एक मास के भीतर भेजी जायगी। टिप्पणीयुक्त प्रति में प्रत्येक पैरा के सामने अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी पदधारी का नाम और उनके विरुद्ध की गयी या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित की जायगी। लेखा-परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में आगे पत्र-व्यवहार सीधे स्थानीय प्राधिकारी और निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के बीच किया जायगा।

(4) प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी और स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा की टिप्पणीयुक्त प्रति प्राप्त होने पर, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी रिपोर्ट में चर्चित समस्त या किन्हीं विषयों के संबंध में—

(क) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को स्वीकार कर सकता है और आपत्ति का निपटारा कर सकता है; या

Scanned by CamScanner

(ख) निदेश दे सकता है कि विषय पर अतिरिक्त अन्वेषण अगली सेवा-परीक्षा में या किसी और पूर्वतर दिनांक को किया जाय; या

(ग) यह धारण कर सकता है कि रिपोर्ट में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं या उनमें से किसी का निराकरण या प्रतिकार नहीं किया गया है।

(5) यदि यह धारणा है कि रिपोर्ट में इंगित स्थानीय प्राधिकारी के सेवा की किसी त्रुटि या अनियमितता का निराकरण या प्रतिकार युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया गया है तो निदेशक ऐसे मामले को विहित प्राधिकारी और राज्य सरकार की जानकारी में विशेष रूप से लायेगा और राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी कार्यवाही का निदेश दे सकती है जो आवश्यक समझी जाय, अर्थात्—

(1) किसी ऐसे व्यक्ति का अभियोजन जो, यथास्थिति, त्रुटि या अनियमितता के लिये उत्तरदायी हो;

(2) स्थानीय प्राधिकारी का विघटन;

(3) स्थानीय प्राधिकारी का अतिक्रमण;

(4) ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को सहायता—अनुदान का निलम्बन;

(5) स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच;

(6) स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी का हटाया जाना।

(6) उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही की संस्तुति करते समय, निदेशक ऐसी किसी सूचना की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करेगा जिससे उसे यह प्रतीत हो कि वह ऐसे आपराधिक दुर्विनियोग के आरोप या कपट का समर्थन करता है या जिस पर उसकी राय में विशेष ध्यान देना या तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित है।

निदेशक अवैध भुगतान या घोर उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई हानि पर अधिभार लगायेगा

10—(1) यदि सम्बद्ध व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि स्थानीय प्राधिकारी के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग अपचारी व्यक्ति के दुराचरण या उसकी ओर से घोर उपेक्षा के कारण हुआ है, या यह कि उक्त व्यक्ति ऐसा पक्ष है जो अवैध भुगतान करता है या ऐसा भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करता है, तो निदेशक, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह स्थानीय प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व ऐसी धनराशि, जो स्थानीय प्राधिकारी को उसके धन या सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग की प्रतिपूर्ति करने के लिये न्याय संगत और साम्यपूर्ण पायी जाय, उस पर ब्याज सहित भुगतान करें :

परन्तु प्रथमतः किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अधिभार का कोई आदेश ऐसे धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होने के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्-वर्ती हो, नहीं दिया जायगा :

परन्तु द्वितीयतः यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसकी किन्हीं समितियों या उप समितियों के किसी संकल्प के परिणामस्वरूप हुआ हो तो वसूल की जाने वाली हानि की धनराशि को समस्त सदस्यों में जिसके अन्तर्गत ऐसे पदाधिकारी भी है जिसके सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी या उसकी समितियों या उप समितियों के कार्यवृत्त में यह सूचना हो कि उन्होंने ऐसे संकल्प के संबंध में मत दिया था या वे तटस्थ रहे, बराबर-बराबर बांट दिया जायगा :

परन्तु तृतीयतः अतिक्रमित स्थानीय निकायों की स्थिति में, यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग प्रशासक या प्रभारी अधिकारी की जो सरकारी सेवक हो, किसी कार्यवाही के कारण हुआ हो तो मामले की सूचना निदेशक द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये दी जायगी :

परन्तु चतुर्थतः किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की उस सीमा तक होगा जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय की एक प्रति दी जाय, उसे लेने से इन्कार करे तो यह समझा जायगा कि उसने उसे उस दिन प्राप्त कर लिया है जिस दिन उसने प्रति लेने से इन्कार किया था।

(3) यदि वह अन्तिम आदेश के समय उपलब्ध न हो तो उसके प्रवर्ती भाग सहित उसका सारांश उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेज दिया जायगा या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका दिया जायगा और उस परिक्षेत्र में ढुग्गी पिटवाकर उसकी उद्घोषणा की जायगी और इससे यह उपधारणा की जायगी कि उसे सम्यक् रूप से तामील किया गया है।

Scanned by CamScanner

अधिभार के आदेश के विरुद्ध अपील

11—(1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस क्षेत्र के जिसके स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान कार्यालय स्थित हो, अधिकारितायुक्त आयुक्त को विहित रीति से अपील कर सकता है।

(2) आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपील में आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

भू-राजस्व के बकाये के रूप में प्रभार की वसूली

12—यथास्थिति, धारा 10 या धारा 11 के अधीन अधिभार के आदेश में उल्लिखित धनराशि का भुगतान अधिभारित व्यक्ति द्वारा आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर किया जायगा, और यदि उसका भुगतान नहीं किया जाय तो उसे निदेशक के आवेदन-पत्र पर कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायगा और स्थानीय प्राधिकारी की निधि में विहित रीति से जमा किया जायगा।

प्रभार आदि का भुगतान

13—धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन लेखा परीक्षक द्वारा या धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन निदेशक द्वारा की गयी किसी अधियाचन के अनुपालन में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया समस्त व्यय उस स्थानीय प्राधिकारी की निधि से देय होगा।

निदेशक, लेखा परीक्षक, आदि लोक सेवक होंगे

14—निदेशक और उसके अधीन कार्यरत और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले या प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी और लेखा-परीक्षक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होंगे।

वाद पर रोक

15—जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा विधिक रूप से दिये गये किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जायेगा या अन्य कार्यवाही नहीं की जायगी।

सद्भाव से किये गये कार्यों का संरक्षण

16—राज्य सरकार, निदेशक या किसी अन्य अधिकारी, लेखा परीक्षक या निदेशक के अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित हो।

निरीक्षक द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण

17—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों में से ऐसे व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमायें परिनिश्चित कर सकती है।

(2) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये कोई निरीक्षक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर—

(क) निदेशक, लेखा परीक्षक या लेखा-परीक्षा की कार्यवाहियों के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति के आदेश से उचित समय पर सर्वदा किसी परिसर या स्थान में सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की ऐसी सहायता से यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे और जो निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित हो, लेखा परीक्षा की कार्यवाहियों के संबंध में किसी रजिस्टर या अभिलेख या पत्रादि की जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण के लिये उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) सूचना प्राप्त करने के लिये उसी स्थल पर किसी व्यक्ति से परिप्रश्न कर सकता है;

(ग) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे अभिलेख या पत्रादि को, जो आवश्यक हो, अभिग्रहीत कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है या उन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो विहित की जायं।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिससे उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक द्वारा कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने की अपेक्षा की जाय, यह समझा जायगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थान्तर्गत वैध रूप से ऐसा करने के लिये बाध्य है।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, यथा सम्भव, उपधारा (1) के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किये गये किसी वारन्ट के प्राधिकार से की गयी किसी तलाशी या अभिग्रहण पर लागू होते है।

Scanned by CamScanner

प्रकीर्ण

18—इस अधिनियम के अधीन किसी परीक्षा या लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिये निदेशक या लेखा परीक्षक और अपील के प्रयोजन के लिये अपील प्राधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् —

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कमीशन जारी करना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

अपवाद

19—(1) अधिभार से संबंधित किसी ऐसी कार्यवाही का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचाराधीन हो, निस्तारण, और किसी ऐसी कार्यवाही में पारित आदेश का प्रवर्तन, उस विधि के अनुसार इस प्रकार किया जायगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं थे ।

(2) जैसा कि उपधारा (1) में उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसे किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अधिभार से संबंधित सभी कार्यवाहियां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न और निस्तारित की जायंगी ।

नियम बनाने की शक्ति

20—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को, जिसके लेखा की परीक्षा निदेशक द्वारा की जानी है, अधिसूचित करने का कार्य विनियमित करना;

(ख) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन लेखा की परीक्षा के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भुगतान की जाने वाली लेखा-परीक्षा फीस की दर और उसके भुगतान और उसकी वसूली की रीति;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति, जिसके अनुसार लेखा संपरीक्षा के लिये प्रस्तुत किया जायगा;

(घ) लेखा परीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य और लेखा-परीक्षा करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वह समय जब और स्थान जहां पर ऐसी लेखा-परीक्षा की जायगी;

(ङ) निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य;

(च) अधिभार के संबंध में जांच, अपील और वसूली;

(छ) निरीक्षक द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण ।

आज्ञा से,
गंगा बक्स सिंह,
सचिव ।

No. 939(2)/XVII-V-1—1(Ka)-36-1983

Dated Lucknow, April 30, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sthaniya Nidhi Lekha Pariksha Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 29, 1984.

Scanned by CamScanner